

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/2025

1. श्रीमती गीता पत्नि श्री मदनलाल, जाति जाट, उम्र लगभग निवासी ग्राम गागुन्दा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान वर्ष,
2. श्रीमती सीता पत्नि श्री रतना, जाति जाट, उम्र लगभग निवासी ग्राम गागुन्दा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान वर्ष, - प्रार्थीगण

बनाम

1. राधामोहन पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गागुन्दा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. विश्राम पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गागुन्दा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. हरिराम पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गागुन्दा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. माया देवी पुत्री श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गागुन्दा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. मिटू देवी पुत्री श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गागुन्दा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. श्रीमती अचनाकंवर पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. श्रीमती गजराजकंवर पत्नि श्री भगवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. घीसालाल पुत्र रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
10. राजू पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक

वकील वादी श्री रामनिवास बैरवा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामनिवास बैरवा एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम माला. पटवार हल्का गागुन्दा, भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान में निम्न विवरण की स्थित है:-

खाता संख्या	खसरा नं०	क्षेत्रफल हैक्टेयर	किस्म
नया	पुराना		
344	486	2.2895	बा0अव्वल
कुल खसरा	01	2.2895 हैक्टेयर	

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि आराजी है जिसमें 1/2-1/2 हिस्सा भूमि पर राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण सहखातेदार, काबिज, काश्तकार है । प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर सहखातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व

4/11

रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है।

खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 486 क्षेत्रफल 2.2895, किस्म वा. अब्बल जो निम्नानुसार स्थित है :- (अ) अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 ग्राम माला स्थित खसरा संख्या 473 क्षेत्रफल 2.5645 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 473 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 486 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 08 ग्राम माला स्थित खसरा संख्या 478 क्षेत्रफल 1.3349 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 478 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 486 के पश्चिम दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 09 व 10 ग्राम माला स्थित खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 1.9578 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 479 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 486 के पश्चिम दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 ग्राम माला स्थित खसरा संख्या 745/486 क्षेत्रफल 2.2895 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 745/486 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 486 के दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वाधिकारी श्रीमती भूरी पत्नि श्री रामलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है, श्रीमती भूरी पत्नि श्री रामलाल को देहावसान होने से उनके विधिक वारिसान् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया गया है। तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 486 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 535 गै.मु. रास्ता है जो राज्य सरकार के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य उपरोक्त भूमि का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते हैं, जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते हैं तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते हैं। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 11 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, गागुन्दा द्वारा दिनांक 05.06.2022 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 07.12.2024 को विवाद किया गया। वाद कारण दिनांक 07.12.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थीगण के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत जारी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके। चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 11 राजस्व रिकार्ड संधारक है तथा राज्य सरकार का भू-अभिलेख प्रतिनिधि है इसलिये उपरोक्त सीमा विवाद एवं पत्थरगढी हेतु उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थीगण की वाके ग्राम माला, पटवार हल्का गागुन्दा, भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि खसरा संख्या 486 क्षेत्रफल 2.2895 हैक्टेयर की सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके अतः पत्थरगढी का निवेदन किया है।

प्रकरण दिनांक 20.1.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 21.11.2025 को बहस सुनी गई। तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम माला, पटवार हल्का गागुन्दा, भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई, जिला अजमेर के खाता संख्या 344 खसरा नं० 486 रकबा 2.2895 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/- रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/- रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)